अन्तिम चरण गोवर्धन

Ad
11/8/22

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक एवं वकील अभिभाषक की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया जाता है। मूलवाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की सुरक्षित बनाये रखना उचित एवं कर्तव्य मालूम होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश 41/14 को प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा की मंजूरी दिया जाता है। अभिभाषकों को पाबंद किया जाता है कि तालिका वाद मूलवाद वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम धान खसरा नं० ~~43/170~~ 43/730 रकबा 0.3100 है० खा० नं० -44 रकबा 0.5500 है० कुल मिला 2 कुल रकबा 0.8600 है० वाके ग्राम लादनीरामपुरा पटवार जोन रामपुराडेली मु० अ० कि० जे० कार्यालय तह० कोटपूतली जिला जयपुर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नियमानुसार दोनों पक्ष नियत दिनांक पेश करें। आदेश तदनुसार हो।